	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	माघ 18, शुक्रवार, *शाके* 1941–फरवरी 07, 2020 *Magha 18, Friday, Saka 1941–February 07, 2020*	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 22, 2020

संख्या रा.वि.वि. आयोग/सचिव/ विनियम 133- विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां अधिनियम) की धारा 42(6) एवं (7) सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघुशीर्षक तथा प्रारम्भण:

(1) ये विनियम, **"राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत लोकपाल द्वारा विवादों का निपटारा) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020"** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राज-पत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगें।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 3 में संशोधन:

उप विनियम (4) के मौजूदा प्रावधान को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

''विद्युत लोकपाल की नियुक्ति का तरीका आयोग द्वारा गठित की जाने वाली खोज समिति या विज्ञापन के माध्यम से होगा। लोकपाल की नियुक्ति शुरू में दो साल की अवधि के लिये होगी जिसे आगे एक वर्ष के लिये बढाया जा सकता है बशर्ते विस्तारित अवधि के दौरान आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हो। लोकपाल की नियुक्ति के लिये विज्ञापन की तिथि पर न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा 59 और 62 वर्ष होगी।''

आज्ञा से

सचिव।

RAJASTHAN ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

JAIPUR, January 22, 2020

No. RERC/Secy./Reg. No. 133.-In exercise of the power conferred on it under Section 42(6) and (7) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003(Act 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, namely: -

1. **Short title and Commencement:**

(1) These regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Settlement of Disputes by Electricity Ombudsman) (2^{nd} Amendment) Regulations, 2020.

(2) These Regulations shall come into force from the date of their publications in the official Gazette.

2. **Amendment in Regulation 3 of the Principal Regulations**:

The existing provision of sub regulation (4) shall be substituted as under:-

"The mode of appointment of Electricity Ombudsman shall be through a search committee to be constituted by the Commission or by advertisement. The appointment of ombudsman shall be initially for a period of two years which may be further extended upto one year subject to age upto extended period not exceeding 65 years. For appointment of Ombudsman minimum and maximum age limit would be 59 and 62 years on the date of advertisement".

By Order

Secretary

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।